



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी भोपाल-462016 (म.प्र.)

वेबसाईट- <http://www.mpseiaa.nic.in>

दूरभाष नं. - 0755-2466970, 2466859

फैक्स नं. - 0755-2462136

No: 1658 / SEIAA/2022

Date: 23/9/22

प्रति,

मेसर्स सीताराम स्टोन,
पार्टनर, श्री धर्मेन्द्र दांतरे
आत्मज श्री जैय प्रकाश दांतरे
निवासी, बी-11, पुरुषोत्तम विहार,
गोला का मंदिर, जिला ग्वालियर (म.प्र.)

विषय :- प्रकरण क्र. 9024/2022 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स सीताराम स्टोन, पार्टनर, श्री धर्मेन्द्र दांतरे आत्मज श्री जैय प्रकाश दांतरे निवासी, बी-11, पुरुषोत्तम विहार, गोला का मंदिर, जिला ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 2,28,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.640 हेक्टेयर, खसरा 1126, 1127, 1128/1, 1128/2, 1129, 1130, ग्राम डिरमन, तहसील गोहद, जिला भिंड (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

प्रकरण पर 746वीं SEIAA बैठक दिनांक 13.09.2022 में चर्चानुसार निम्नानुसार निर्णय लिया गया

" राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 580वीं बैठक दिनांक 23.06.2022 एवं 591वीं बैठक दिनांक 27.08.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि स्वीकृत खनन क्षेत्र में 03 पेड़ लगे हैं, जिनमें से 01 पेड़ काटे जायेंगे जिसके एवज में 10 पेड़ लगाये जायेंगे.....

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लक्ष्य को पूर्ण कर स्थल के फोटोग्राफ मय अक्षांश देशांश सहित एवं साथ ही वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध जल स्रोत तथा प्रतिदिन जल की उपलब्ध मात्रा की जानकारी एवं पश्चिम दिशा में खदान क्षेत्र से 100 मी दूरी पर स्थित नहर से माननीय एनजीटी के निर्देशों के परिपालन में ब्लास्टिंग हेतु नहर से प्रस्तावित खदान तक 200 मीटर तक की दूरी छोड़ने के उपरांत खनन योग्य क्षेत्र का Revised Surface Map (सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित) भी 15 दिवस में ऑनलाईन परिवेश पोर्टल एवं SEIAA कार्यालय में प्रस्तुत करने के उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति पर विचार किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जायें।"

उपरोक्त निर्णय के परिपालन में कृपया क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लक्ष्य को पूर्ण कर स्थल के फोटोग्राफ मय अक्षांश देशांश सहित एवं साथ ही वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध जल स्रोत तथा प्रतिदिन जल की उपलब्ध मात्रा की जानकारी एवं पश्चिम दिशा में खदान क्षेत्र से 100 मी दूरी पर स्थित नहर से माननीय एनजीटी के निर्देशों के परिपालन में ब्लास्टिंग हेतु नहर से प्रस्तावित खदान तक 200 मीटर तक की दूरी छोड़ने के उपरांत खनन योग्य क्षेत्र का Revised Surface Map (सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित) सहित 15 दिवस में ऑनलाईन परिवेश पोर्टल एवं SEIAA कार्यालय में प्रस्तुत करें, तदनुसार प्रकरण पर पुर्नविचार हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकेगा।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव